अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 85/2011

लक्ष्मण मॉझी

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,सदर, छपरा।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
23.07.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के ज्ञापांक 1402 दिनांक 21.10.11 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जलालपुर के द्वारा लक्षमण मॉझी ज0वि0प्र0वि0 अनुज्ञप्ति सं0 68/07 पंचायत अशोक नगर प्रखंड जलालपुर की दूकान की जॉच की गई। जॉच के कम में, निम्नलिखित अनियमितताऍ पाई गईः– 1. विकेता के द्वारा कम खाद्यान्न की आपूर्ति कर कार्ड पर अधिक खाद्यान्न की प्रविष्टि की जाती है। 2. विकेता के द्वारा उपभोक्ताओं को अतिरिक्त चावल 20 किलोग्राम की प्रविष्टि कार्ड पर नहीं की जाती है। 3. विकेता के द्वारा उपभोक्ताओं को अतिरिक्त चावल का आपूर्ति कर अगस्त 2011 का कूपन जबरन फाड़ लिया जाता है। 4. विकेता के द्वारा अगस्त 2011 का गेहूँ का उठाव किये बगैर अग्रिम आपूर्ति उपभोक्ताओं के कार्ड पर कर देने तथा जॉच के समय अन्त्योदय योजना बी0पी0एल0 योजना एवं किरासन तेल का भंडार पंजी एवं बिकी पंजी जॉच पदाधिकारी को नहीं दिखाया गया है। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा के ज्ञापांक 1215 दिनांक 10.09.11 के द्वारा कारण पृच्छा किया गया। विकेता	

के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपीलवाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के विरूद्ध लगाये गए सभी आरोप गलत है। विक्रेता अनुसूचित जाति के व्यक्ति है एवं उनके द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपसी दुश्मनी की वजह से विक्रेता को परेशान करने की नीयत से विक्रेता के विरूद्ध शिकायत की गई है। विक्रेता के द्वारा अतिरिक्त चावल की आपूर्ति के पश्चात किसी भी उपभोक्ता का अगस्त माह का कूपन नही फाडा गया है। अगस्त माह के खाद्यान्न का कूपन उपभोक्ताओं के पास ही है। जहाँ तक अगस्त माह के खाद्यान्न का उठाव किए बिना ही उपभोक्ताओं के कार्ड में अग्रिम के रूप में प्रविष्टि का आरोप है, इस संबंध में कहना है कि नेफ्ट का पैसा जमा करने विक्रेता बैक गए हुए थे उसी बीच इनके लडके के द्वारा (जो नाबालिग है) भूलवश कार्ड में प्रविष्टि कर दी गई थी, जिसे काट दिया गया है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल आचरण किया गया है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रदद् रखा जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 1402 दिनांक 21.10.11) में कई कमियाँ नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति ही विक्रेता को उपलब्ध करायी गई है,

जो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से आवश्यक है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निर्देश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता से पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओं पर कारण पृच्छा किया जाय, उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति विक्रेता को उपलब्ध करायी जाय, उन्हें सुनवाई का एक मौका दिया जाय एवं अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर विधि सम्मत मुखर आदेश पारित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 500 / दिनांक 04/8/15/

प्रतिलिपिः— अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— श्री मो० खालिद, विद्वान विशेष लोक अभियोजक, 7 ई०सी०, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा।

04/8/15